

संदर्भ सं. आईआरडीएआई/एचएलटी/सीआईआर/विविध/59/2/2023

Ref No: IRDAI/HLT/CIR/MISC/59/2/2023

दिनांक / Dated: 28.02.2023

सभी बीमाकर्ता (ईसीजीसी, एआईसी को छोड़कर)
All Insurers (except ECGC, AIC)

विषय: आईआरडीएआई (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2016 में उल्लिखित शब्दावली “अवमानक जीवन” का आशोधन।

Re: Modification of the terminology “sub-standard lives” mentioned in IRDAI (Health Insurance) Regulations-2016.

1. रिट याचिका सं. 6074/2019 में श्री सौरभ शुक्ला बनाम मेसर्स नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि. और अन्य में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 13.12.22 के निदेशों के अनुपालन में आईआरडीएआई (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2016 के विनियम 8(ख) में “अवमानक जीवन” के उल्लेख का इसके द्वारा विलोपन किया गया है। उपर्युक्त विनियम निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

In compliance to the directions dated 13.12.22 of the Hon'ble High Court of Delhi in WP No. 6074/2019 Mr.Saurabh Shukla vs M/s Niva Bupa Health Insurance Co Ltd and Others, the reference to “sub-standard lives” in Regulation 8 (b) of IRDAI (Health Insurance) Regulations, 2016 hereby stands deleted. The said Regulation shall be read as under:

(i) 8(ख): “उक्त जोखिम-अंकन नीति स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रस्तावित करने से संबंधित दृष्टिकोण और पहलुओं को भी समाविष्ट करेगी। संबंधित जोखिम वर्गीकरण के अनुसार स्वीकृत किये जानेवाले विभिन्न वर्गों के जोखिमों का विभेदीकरण करने के लिए उसके पास विभिन्न वस्तुनिष्ठ जोखिम-अंकन मानदंड विद्यमान होंगे।”


(ii) 8(b): “The underwriting policy shall also cover the approach and aspects relating to offering health insurance coverage. It shall have in place various objective underwriting parameters to differentiate the various classes of risks being accepted in accordance with the respective risk categorization”.

2. उपर्युक्त निदेश आईआरडीएआई (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2016 के विनियम 39 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जाता है।

The above direction is issued in exercise of powers under regulation 39 of IRDAI (Health Insurance) Regulations-2016.

3. इस निदेश के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है तथा यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

This direction has the approval of the competent authority and shall come into force with immediate effect.



(येज्नप्रिया भरत / YEGNAPRIYA BHARATH)

मुख्य महाप्रबंधक (स्वास्थ्य)/CHIEF GENERAL MANAGER (HEALTH)